

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—23 / 2025

पटना, दिनांक:—

श्रीमती रागिनी मिश्रा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं० बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को उनकी प्रथम संतान के लिए बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या—2498 दिनांक—12.04.2007 के अंतर्गत दिनांक—01.04.2026 से 27.09.2026 तक कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० /—
(नीतू सिंह)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा—24—23 / 2025/1240

पटना, दिनांक:—13/04/26

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हाजीपुर, वैशाली/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा/अंचल प्रभारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच०आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती रागिनी मिश्रा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं० बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।


13.04.26
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।